


#2025/1449

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल अर्द्धी का आरक्षण)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 11757 11757 दायर दिनांक 10.10.25 निर्णय दिनांक 10.10.25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खं.न	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	अर्द्धी का आरक्षण	172	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये राजस्थान ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत अर्द्धी का आरक्षण किया जायेगा।</p> <p>मैं वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल अर्द्धी का आरक्षण को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये।

तहसीलदार (भू.अ.)  
तहसीलदार कपासन  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.)  
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़